पत्र संख्या-स्था-1/स्थानान्तरण नीति 2013-14/ 5487 वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
दिनांक: लखनऊ:: 25 मार्च, 2013

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर/ समस्त असिस्टेंट कमिश्नर एवं
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आप भली भांति अवगत हैं कि गत एक वर्ष में आपकी व्यक्तिगत समस्याओं एवं अनुरोध को सुनने के लिये अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आपका सदैव स्वागत रहा है। आपने यह भी देखा होगा कि आपके अनुरोधानुसार कार्य करने हेतु पूर्ण सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोंण अपनाया जाता रहा है और जब तक ऐसे अनुरोध नियमों के ठीक विपरीत न हो तथा अन्य कोई गंभीर प्रशासनिक बाधा न हो तब तक आपके अनुरोध स्वीकार किये गये हैं।

2- यह विचरणीय होगा कि आगामी वर्ष के स्थानान्तरण सत्र हेतु भी अपने अनुरोध (जैसा कि कार्यालय ज्ञाप संख्या स्था-1-सामान्य स्थानानतरण वर्ष 2013-14/5343 / दि0 15.03.2013 द्वारा आमंत्रित किये गये है), के विषय में कमिश्नर, वाणिज्य कर के समक्ष व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण देते हुये अपनी समस्याओं को दूरभाष संख्या- 0522-2721147, 0522-2721149 पर वार्ता करके अथवा कार्यालय समय में भेंट कर अवगत करा सकते हैं।

1- यहॉ पर आपको नियम 27 एवं नियम 27 ए उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के निम्न उद्धरण से अवगत कराना उचित होगा :

नियम 27- असरकारी या अन्य वाह्य प्रभाव का मतार्चन - कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से सम्बन्धित अपने हितों से सम्बद्ध किसी मामले में कोई राजनीतिक या अन्य बाह्य साधनो से न तो स्वयं , या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा, कोई प्रभाव डालने का प्रयास करेगा।

स्पष्टीकरण - सरकारी कर्मचारी की, यथास्थिति, पत्नी या पति या अन्य सम्बन्धी द्वारा किया गया कोई कार्य जो इस नियम की व्यप्ति के अन्तर्गत हो, के सम्बन्ध में, जब तक कि इसके विपरीत प्रमाणित न हो जाय, यह मानाजायेगा कि वह कार्य सम्बन्धित कर्मचारी की प्रेरणा या मौन स्वीकृति से किया गया हो।

उदाहरण- 'क' एक सरकारी कर्मचारी है और 'ख', 'क' के कुटुम्ब का एक सदस्य है, ' ग' एक राजनीतिक दल है और 'ग' के अन्तर्गत 'घ' एक संगठन है । 'ख' ने 'ग'में पर्याप्त ख्यातिप्राप्त कर ली और 'घ'में एक पदाधिकारी हो गया। 'घ' के द्वारा 'ख' ने 'क'की बात का समर्थन करना प्रारम्भ किया। यहॉ तक कि 'ख' ने 'क'के उच्चाधिकारियों के विरुद्ध संकल्प प्रस्तुत किया। 'ख' का यह कार्य उपर्युक्त नियम क उपबन्धों का उल्लघन होगा और उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह 'क' की प्रेरणा या उसकी मौन स्वीकृति से किया गया है , जब कि कि 'क' यह न प्रमाणित कर दे कि ऐसा नहीं था।

नियम 27क -सरकारी सेवकों द्वारा अभ्यावेदन -कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उचित माध्यम से और ऐसे निर्देशों के अनुसार जिन्हे सरकार समय-समय पर जारी करे, व्यक्तिगत रुप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को कोई अभ्यावेदन नहीं करेगा। नियम 27 का स्पष्टीकरण इस नियम पर भी लागू होगा।

4- अपेक्षा है कि उपरोक्त नियमों का आप भली भांति अवलोकन कर गंभीरतापूर्वक संज्ञान अवश्य ले लें क्योंकि इनके विपरीत यदि कोई भी प्रार्थना आपके द्वारा अथवा आपके पक्ष में राजकीय / वाह्य राजनैतिक दबाव के रुप में प्राप्त होता है तो उसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु विवश होना पड़ेगा।

5- यह भी अवगत कराना है कि व्यक्तिगत समस्याओं के आधार पर स्थान विशेष अथवा जनपद विशेष की तैनाती का अनुरोध तो तार्किक एवं स्वीकार्य प्रतीत होता है , परन्तु पद विशेष यथा - सचल दल, खण्ड विशेष एवं वि0अनु0शा0 इत्यादि के अनुरोध / प्राप्त सिफारिश से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आप उक्त पद विशेष पर निहित स्वार्थवश जाने के इच्छुक हैं। ऐसी दशा में सत्यनिष्ठा सत्यापन सम्बन्धी सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत इस प्रकार के पद विशेष की सिफारिश प्राप्त होने पर आपकी सत्यनिष्ठा के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने पर ही विवश होना पड़ेगा। मुख्यालय पर सतर्कता अधिष्ठान का गठन किया गया है जिसमें संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों को चिन्हित कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। उपरोक्तानुसार पद विशेष की तैनाती हेतु राजनैतिक / वाह्य दबाव डलवाने वाले अधिकारियों को उक्त श्रेणी में सम्मिलित कर कार्यवाही की जायेगी।

आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप पूर्ण उत्तरदायित्व से उपरोक्त को संज्ञान में लेते हुये अपने विरुद्ध किसी प्रतिकूल कार्यवाही का अवसर उत्पन्न नहीं होने देंगे।

(हिमांशु कुमार)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

प्रतिलिपि :

1- ज्वाइण्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि बाह्य दबाव / राजनैतिक दबाव डलवाने वाले एवं पद विशेष की मॉग करने वाले अधिकारियों को प्रारम्भ से ही चिन्हित कर सूची सहित उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

2- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय को उक्त सूची की एक प्रति ज्वाइण्ट कमिश्नर स्थापना से प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करने हेतु।

(हिमांशु कुमार)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ0प्र0।